उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1193/ग्यारह्-2-22-9(42)/17-टी.सी.64-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(262)-2023

लखनऊ; दिनांकः 21 जनवरी, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठावनवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अट्ठावनवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 01 दिसम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।
नियम 122, 124 तथा 125 का निकाला जाना	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नियम 122, 124 तथा 125 निकाल दिये जायेंगे।
नियम 127 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 127 में, - (एक) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "कर्तव्य" के स्थान पर शब्द "कृत्य" रख दिया जायेगा; (दो) शब्द "प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि" के स्थान पर शब्द "प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-" रख दिये जायेंगे।
नियम 134 तथा 137 का निकाला जाना	4.	उक्त नियमावली में, नियम 134 तथा 137 निकाल दिये जायेंगे।
अध्याय पंद्रह के स्पष्टीकरण का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 137 के पश्चात्, अध्याय पंद्रह के स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:- "(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 171 की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण से है;"।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव